लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
059/2024(सू.अ.) (GCMS 2024/172)	30-08-2024	24-09-2024

अनवान

प्रेम कुमार शर्मा, मेवाड रेडियो, 198 न्यू क्लॉथ मार्केट चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9462005055)

अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 05.07.2024 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./059/2024(सू.अ.)(24.09.2024)/510 दिनांक 30.08.2024 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 24.09.2024 अपील अपीलार्थी स्वयं हाजिर आये एवं वांछित सूचना अप्राप्त होना जाहिर किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से किसी भी प्रकार से टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त नहीं हुये।

हमने अपीलार्थी की और से प्रस्तुत अपील मेमों का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया। तथ्यों का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील मेमों में अवगत कराया गया है कि अधीनस्थ तहसीलदार गंगरार द्वारा पत्र दिनांक 07.08.2024 को पत्र द्वारा सूचित किया गया कि वांछित सूचना संधारित नहीं है और प्रश्नवाचक होने की वजह से नहीं दी जा सकती है। अधिनियम की धारा 8 में सूचना के प्रकटन से जो छूट मिली हुई है उसमें सूचना प्रश्नवाचक होने से नहीं दी जायेगी धारा 8(क) में ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता राज्य की सुरक्षा सामरिक वैज्ञानिक या आर्थिक हित विदेशी राज्यों से संबंध प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता हो या किसी अपराध का उदीपन होता है या न्यायालय की अवमानना या संसद या राज्य विधान मंडल का विशेषाधिकार भंग होता है ये सूचना देने का प्रावधान नहीं है, अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर वांछित सूचना दिलवाई जावें। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपील अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05.07.2024 के संबंध में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगरार द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक/RTI/2024/161 दिनांक 29.07.2024 से वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया गया है कि सूचना कार्यालय के रिकार्ड के रूप में संधारित नहीं है। उक्त सूचना अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगरार द्वारा अधिनियम 2005 में विहित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समयावधि में उपलब्ध कराई गई है। इस तथ्य को स्वयं अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगरार के आवेदन पत्र का निस्तारण विधि अनुसार किया जाना प्रतिवेदित होता है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगरार के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन–पत्र दिनांक 05.07.2024 के संबंध में जो कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत किया जिसे लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2024/250 दिनांक 05.07.2024 से अंतरित किया गया है बाबत् सारहीन होने से खारीज की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **24.09.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official